भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *274 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निविदाएं

†*274. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) की विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि डीसीआई को सरकारी पत्तनों के लिए भी निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करनी होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीसीआई के पास निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तंत्र की कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मशीनरी की कमी के बावजूद डीसीआई निजी कंपनियों के साथ किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर पाएगा और डीसीआई की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निविदाएं " के संबंध में श्री डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 09 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *274 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक में संदर्भित विवरण

(क): ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) की स्थापना वर्ष 1976 में भारतीय महापत्तनों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इस समय डीसीआई का प्रशासनिक नियंत्रण चार भारतीय महापत्तनों नामत: विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण, पारादीप पत्तन प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत है, जिनकी हिस्सेदारी क्रमश: 19.47%, 18%, 18% एवं 18% है।

डीसीआई को समुद्री क्षेत्र की ड्रेजिंग और भूमि पुनरुद्धार में विशेषज्ञता प्राप्त है।

डीसीआई द्वारा महापत्तनों, भारतीय नौसेना आदि के लिए कैपिटल ड्रेजिंग, अनुरक्षण ड्रेजिंग, समुद्र तट पोषण, भूमि पुनरुद्धार, उथले जल की ड्रेजिंग, परियोजना प्रबंधन परामर्श और समुद्री निर्माण के कार्य चलाए जाते हैं।

(ख): जी, नहीं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 2021 में महापत्तनों पर कैपिटल और अनुरक्षण ड्रेजिंग चलाए जाने हेतु मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) के साथ महापत्तनों के लिए ड्रेजिंग दिशा-निर्देश घोषित किए गए हैं।

ड्रेजिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार पत्तनों के स्वामित्व वाली ड्रेजिंग कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण वाले महापत्तन न्यासी/पत्तन के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उस कंपनी को नामांकन के आधार पर संबंधित पत्तनों के ड्रेजिंग कार्य सौंप सकते हैं। कार्य सौंपे जाने के लिए जब भी यह मार्ग अपनाया जाता है, उसी गुणवत्ता और शर्तों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य खोज के सिद्धांत अपनाए जाएंगे (ड्रेजिंग परियोजनाओं के निष्पादन में लागत, समय और गुणवत्ता में उच्च दक्षता सुनिश्चित करने हेतु)।

न्यासी/निदेशक बार्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत महापत्तन, ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित कर सकते हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पास विधिवत समाधान प्रक्रिया का पालन करते हुए, लोक हित में, पत्तन के स्वामित्व वाली ड्रेजिंग कंपनी को नामांकन आधार पर किसी भी महापत्तन में ड्रेजिंग कार्य के लिए करार सौंपने का एकाधिकार सुरक्षित है।

(ग) और (घ): डीसीआई के जलयान बेड़े में 59,513 घन मीटर संचयी हॉपर क्षमता वाले दस (10) ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर, दो कटर सक्शन ड्रेजर, एक बैकहो ड्रेजर और अन्य अनुषंगी क्राफ्ट्स शामिल हैं। डीसीआई की क्राफ्ट गणना का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। भारत में अनुरक्षण ड्रेजिंग के क्षेत्र में डीसीआई के पास एक बड़ा बाजार हिस्सा है। डीसीआई द्वारा महापत्तनों में अनुरक्षण ड्रेजिंग की जाती है तथा यह ड्रेजिंग करारों की बोली प्रक्रिया में भाग लेता रहा है।

कैपिटल एवं अंतर्देशीय ड्रेजिंग का स्वामित्व और रखरखाव महंगा है और कैपिटल एवं अंतर्देशीय ड्रेजिंग कार्यों में डीसीआई की विशेषज्ञता सीमित है।

ड्रेजरों की क्षमता वृद्धि के लिए, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) 12,000 घन मीटर हॉपर क्षमता के एक नए ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर की खरीद की पक्रिया में है, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किसी ड्रेजर निर्माण की पहली मेक इन इंडिया परियोजना है। यह 12,000 घन मीटर हॉपर क्षमता का पहला बीगल श्रेणी 12 वाला ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर है, जिसे आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है और इसकी आपूर्ति सितंबर, 2025 तक किए जाने की संभावना है।

अनुबंध-I

ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्राफ्ट गणना

1. **ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर्स**

क्र. सं.	ड्रेजर	निर्माण वर्ष	हॉपर क्षमता (घन मीटर में)	अधिकतम ड्रेजिंग गहराई (मीटर में)
01	डीसीआई ड्रेज - VIII	1977	6500	25.00
02	डीसीआई ड्रेज - XI	1986	4500	25.00
03	डीसीआई ड्रेज - XII	1990	4500	22.00
04	डीसीआई ड्रेज - XIV	1991	4500	22.00
05	डीसीआई ड्रेज - XV	1999	7671	25.00
06	डीसीआई ड्रेज - XVI	2001	7671	25.00
07	डीसीआई ड्रेज - XVII	2001	7671	25.00
08	डीसीआई ड्रेज - XIX	2012	5500	25.00
09	डीसीआई ड्रेज - XX	2013	5500	25.00
10	डीसीआई ड्रेज - XXI	2014	5500	25.00

2. **कटर सक्शन ड्रेजर**

क्र. सं.	ड्रेजर	निर्माण वर्ष	डिज़ाइन किया गया आउटपुट (घनमीटर / घंटा में)	अधिकतम ड्रेजिंग गहराई (मीटर में)
01	डीसीआई ड्रेज -XVIII (गैर प्रणोदित)	2009	2000	25.00
02	डीसीआई आईडी गंगा	2016	1000	14.00

3. **अन्य जलयान**

क्र. सं.	ड्रेजर	निर्माण वर्ष	डिज़ाइन किया गया आउटपुट (घन मीटर /घंटा में)	अधिकतम ड्रेजिंग गहराई (मीटर में)
01	डीसीआई बैकहो - I	2011	370	21.50
02	डीसीआई मल्टीकैट-I	2015	--	--
03	डीसीआई सर्वेक्षण लॉन्च - I	1999	--	--
04	डीसीआई सर्वेक्षण लॉन्च - II और III	2009	--	--

*****